प्रेसविज्ञप्ति दिनांक 26.03.2021

थाना आदर्शमण्डी

थाना आदर्श मण्डी पुलिस द्वारा ग्राम सिलावर में घुडचडी समारोह के दौरान हुई घोडा बग्गी चालक की हत्या का अभियुक्त किया गया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार बरामद।

दिनांक 20.03.2021 को रात्रि करीब 10:30 बजे थाना आदर्शमण्डी के ग्राम सिलावर निवासी सागर पुत्र संजू की घुड़चढ़ी समारोह के दौरान घोडा बग्गी चालक सोनू पुत्र मलखान प्रजापति निवासी सिलावर शामली की गुल्लू पुत्र सुरेंद्र निवासी सिलावर शामली से हर्ष फायरिंग को लेकर कहा-सुनी होने पर गुल्लू द्वारा अवैध हथियार से उसको गोली मार दी गई थी, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। घटना के सम्बन्ध में मृतक के पिता की लिखित तहरीर के आधार पर थाना आदर्शमण्डी पर सुसंगत धाराओं अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव, अपर पुलिस अधीक्षक शामली तथा क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा घटनास्थल का मौका मुआयना कर थाना आदर्शमण्डी पुलिस को हत्याभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए टीम लगाई गयी थी। लगाई गई टीम के अलावा सर्विलांस व एसओजी को भी इस कार्य हेतु लगाया गया था। तीनों टीमों द्वारा घटना के बाद से हत्याभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए निरन्तर दबिश की कार्यवाही की जा रही थी।

इसी क्रम में आज दिनांक 26.03.2021 को थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा सटीक सूचना पर छापेमारी की कार्यवाही करते हुए सोनू की हत्या में लिप्त हत्याभियुक्त गुल्लू उर्फ सुनील को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। हत्याभियुक्त द्वारा घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार भी बरामद हुआ है। हत्याभियुक्त को घटना उपरान्त पुलिस की गिरफ्तारी से बचाने हेतु उसका सहयोग/संश्रय करने वाले पूर्व प्रधान शिवराज पुत्र रणवीर निवासी ग्राम सिलावर थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली की भूमिका प्रकाश में आई है। जो अपने घर से फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार हत्याभियुक्त एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध का तरीका- गिरफ्तार हत्याभियुक्त गुल्लू उर्फ सुनील से घटना के संबंध में की गई पूछताछ में जानकारी हुई है कि घटना दिनांक 20.03.2021 को घुड़चढ़ी के दौरान वह डांस कर रहा था और उसने अपने अवैध तमंचे से हवाई फायरिंग की थी। वह घोड़े बग्गी वाले सोनू से घोडी बग्गी को रोकने के लिए बार-बार कह रहा था परन्तु सोनू उसे लगातार आगे बढ़ाये जा रहा था। जिस पर उसके द्वारा सोनू को अवैध हथियार से गोली मार दी गई।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1- गुल्लू उर्फ सुनील पुत्र सुरेन्द्र चौधरी निवासी ग्राम सिलावर थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

फरार अभियुक्त का नाम व पताः-

1- शिवराज पुत्र रणवीर निवासी ग्राम सिलावर थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1- घटना मे प्रयुक्त अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 जिंदा/01 खोखा कारतूस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री सन्दीप बालियान थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।
2. उ0नि0 श्री कुलदीप सिंह थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

3. उ0नि0 श्री राहुल सिशौदिया थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

4. उ0नि0 श्री सुशील त्यागी थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

5. हे0का0 अमित कुमार थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

6. हे0का0 विकास कुमार थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

7. का0 जगदीश पूनिया थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 02 जिलाबदर गिरफ्तार, अवैध चाकू बरामद ।

आज दिनांक 26.03.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाए जा रहे जिलाबदर अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा जिलाबदर किये गये 02 अभियुक्त लखविन्दर उर्फ लख्खा पुत्र बलजीत निवासी ग्राम काला माजरा थाना झिंझाना जनपद शामली, रिफाकत उर्फ फकडू पुत्र मंजूरा निवासी कस्बा चौसाना जनपद शामली को सत्यापन की कार्यवाही में घर पर ही निवास करते हुए पाये जाने पर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त रिफाकत उर्फ फकडू के कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ है । गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार जिला बदर अभियुक्त-

1. लखविन्दर उर्फ लख्खा पुत्र बलजीत निवासी ग्राम कालामाजरा थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. रिफाकत उर्फ फकडू पुत्र मंजूरा निवासी कस्बा चौसाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1- अवैध चाकू 01

आपराधिक इतिहास लखविन्दर उर्फ लख्खा -

1. मु0अ0सं0 631/18 धारा 272,273,304 भादवि व 60(1) आबकारी अधि0 थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. मु0अ0सं0 110/19 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।
3. मु0अ0सं0 132/20 धारा 03 यूपी गुण्डा अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास रिफाकत उर्फ फकडू -

1. मु0अ0सं0 105/20 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. मु0अ0सं0 75/20 धारा 03 यूपी गुण्डा अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री पवन सैनी थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।
3. का0 इकरामुद्दीन थाना झिंझाना जनपद शामली।
4. का0 विकास थाना झिंझाना जनपद शामली।
5. का0 ज्ञानेन्द्र कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।
6. का0 अमित कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस द्वारा तीन तलाक के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 26.03.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा 3 तलाक के मामले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। जिसके सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 25.03.2021 को वादिया शबनम द्वारा खुद के पति द्वारा उसको 3 बार कहकर तलाक देने के सम्बन्ध में थाना कांधला पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कांधला सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. यूनुस पुत्र इकरामुद्दीन निवासी ग्राम कनियान थाना कांधला जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. मु0अ0सं0 118/2021 धारा 498a,323 भादवि व 3/4 दहेज अधि0 एवं 3/4 मु0वि0संरक्षण अधि0 थाना कांधला जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र सिंह थाना कांधला जनपद शामली।
2. का0 दिग्विजय थाना कांधला जनपद शामली।
3. का0 अभिषेक थाना कांधला जनपद शामली।

थाना बाबरी

थाना बाबरी पुलिस द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए वितरित करने को लाई गई शराब के साथ सेना पुलिस का हेड़ कांस्टेबल गिरफ्तार, कब्जे से 21 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद।

आज दिनांक 26.03.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार आगामी त्यौहारों एंव पंचायत चुनाव के शांति पूर्ण कराये जाने के दृष्टिगत चलाए जा रहे अवैध शराब की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी एंव बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना बाबरी पुलिस द्वारा सूचना पर ग्राम कांजरहेडी से 21 बोतल अंग्रेजी शराब सहित 01 अभियुक्त (फौजी) को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त, आर्मी पुलिस में जोशीमठ में तैनात है जो करीब 20 दिन पूर्व अवकाश पर अपने गांव में आया था। गिरफ्तार फौजी से बरामदा शराब की बोतल अलग-अलग मार्का की हैं, जो उसके द्वारा आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में स्वयं की पत्नी के चुनाव में प्रत्याशी होने के दृष्टिगत मतदाताओं को उसके पक्ष में मतदान करने को लुभाने के लिए वितरित किये जाने के लिए लाये जाने की जानकारी हुई है। विधिक कार्यवाही के अलावा इनके अधिकारियों को भी विभागीय कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया जा रहा है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. नीरज कुमार पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम कांजरहेडी थाना बाबरी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1. अंग्रेजी शराब 21 बोतल (भिन्न-भिन्न मार्का)।

बरामदगी एवं गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री राजकमल थाना बाबरी जनपद शामली।
2. उ0नि0 श्री विजय त्यागी थाना बाबरी जनपद शामली।
3- उ0नि0 श्री रामपाल सिंह थाना बाबरी जनपद शामली।
4. हे0का0 जगमोहन थाना बाबरी जनपद शामली।
5. का0 रोहित कुमार थाना बाबरी जनपद शामली।
6. का0 राहुल थाना बाबरी जनपद शामली।
7. का0 अनुज कुमार थाना बाबरी जनपद शामली।
8-म0का0 सोनू थाना बाबरी जनपद शामली।

थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा 02 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 24 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का एवं परिवहन में प्रयुक्त ईको गाडी बरामद।

आज दिनांक 26.03.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार आगामी त्यौहारों एंव पंचायत चुनावों को शांति पूर्ण कराये जाने के दृष्टिगत चलाए जा रहे अवैध शराब की तस्करी में लिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान सूचना पर यमुना ब्रिज से 02 शराब तस्करों को अवैध 24 बोतल देशी शराब रसीला संतरा हरियाणा मार्का एवं परिवहन में प्रयुक्त ईको गाडी न0 HR-42F/7840 सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के संम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1- नौशाद पुत्र उमरदीन निवासी मौहल्ला आलकला थाना कैराना जनपद शामली।

2- नफीस पुत्र इलियास निवासी मौहल्ला छडियान थाना कैराना जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरणः-

1- अवैध 24 बोतल देशी शराब रसीला सन्तरा हरियाणा मार्का।

2- परिवहन में प्रयुक्त ईको गाडी न0 HR-42F/7840

गिऱफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह थाना कैराना जनपद शामली।
2. का0 कपिल कुमार थाना कैराना जनपद शामली।
3. का0 ओरेशे कुमार थाना कैराना जनपद शामली